7

अध्याय

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

सीआईएल का विपणन प्रभाग इसकी सभी सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों के विपणन कार्यकलापों की आयोजना, समन्वय एवं मॉनीटरिंग करता है। विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल का राज्य की राजधानियों में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों का नेटवर्क है।

विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन इससे पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि कोकिंग कोल को नियंत्रण मुक्त करने के बाद कोकिंग कोल की आपूर्ति भी कोयला कंपनियों द्वारा शुरूआती लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) (एसएलसी (एलटी)) द्वारा स्थापित लिंकेज के आधार पर अथवा उनकी मौजूदा वचनबद्धताओं के आधार पर की जाती है।

अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान सीआईएल ने विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति की है:–

कोल इंडिया लिमिटेड

(अनंतिम) (मिलियन टन)

	अप्रैल–दिसंबर 15			1 जनवरी –31 मार्च 2016 (अनुमानित आंकड़े)		
क्षेत्र	लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का %	लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का %
इस्पात*	004.70	005.05	107%	001.72	001.52	88%
विद्युत (उपयोगिताएं)**	311.89	298.15	96%	118.11	125.45	106%
कैप्टिव पावर***	026.30	025.73	98%	009.88	013.08	132%
सीमेंट	004.91	003.68	75%	001.74	001.59	91%
स्पांज आयरन	007.14	006.30	88%	002.63	001.44	55%
अन्य	044.43	050.09	113%	016.18	008.28	51%
कुल प्रेषण	399.37	389.00	97%	150.26	151.36	101%
कोलि. खपत	000.27	000.27	100%	000.10	00.06	59%
कुल	399.64	389.27	97%	150.36	151.42	101%

* : इसमें वाशरियों को दिया गया कोकिंग कोल, तथा इस्पात संयंत्रों को की गई प्रत्यक्ष आपूर्ति तथा बैंडेबल आपूर्ति शामिल है।

** : इसमें परिष्करण के लिए वाशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को फीड करने के लिए कोकिंग तथा नान–कोकिंग कोयला शामिल हैं।

*** : कैप्टिव पावर जिसमें उर्वरक क्षेत्र को प्रेषण शामिल है। (अप्रैल–दिसम्बर, 2015 की अवधि के लिए)

एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयला उठानः

वर्ष 2015–16 (अप्रैल से दिस.15) के दौरान एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयला उठान तथा शेष अवधि (जनवरी से मार्च 2016 तक) के दौरान अनुमानित कोयला उठान का ब्यौरा इस प्रकार हैः

(मिलियन टन)

क्षेत्र	अप्रैल, 15 से दिस, 15	अप्रैल, 2014 से दिस., 2014	(%) वृद्धि	जन., 2016 से मार्च, 2016 (अनुमानित)	कुल अनुमानित
विद्युत (संयंत्र और सीपीपी)	37.08	30.00	23.6	09.94	47.02
स्टील (स्पंज आयरन)	00.08	00.27	-70.37	00.06	00.14
सीमेंट	02.89	03.46	-16.47	00.91	03.80
उर्वरक	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
अन्य	03.51	04.51	-22.17	01.48	04.99
कोलि. निर्मा.	00.04	00.04	0.00	00.01	00.05
कुल	43.60	38.28	13.91	12.40	56.00

विद्युत गृह

अप्रैल– दिसम्बर, 2015 के दौरान तापीय विद्युत गृहों द्वारा सीआईएल से कोयले का उठान 298.15 मिलियन टन था जो कि लक्ष्य के 96% की प्राप्ति थी। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उठान में 17.83 मिलियन टन अर्थात 6.4% की वृद्धि हुई है।

सीमेंट संयंत्र

अप्रैल–दिसम्बर, 2015 के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.11 मिलियन टन की तुलना में 3.68 मिलियन टन (अनंतिम) था।

लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरणः

- एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4200 मि.ट. प्रति वर्ष तक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को कोयला वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले का वितरण किया जाना है। राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण हेतु वार्षिक रूप से कुल 8 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो संबंधित कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न करने के पश्चात कोयला ले सकेंगे।
- इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य के समान होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है। एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5% मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी ।
- 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लघु उद्योगों को कोयला वितरण के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान अपनी एजेंसियां नामित कर दी हैं। 23 राज्य एजेंसियों को नामित किया गया है जिनमें से 10 राज्य एजेंसियों ने 1.964 मि.टन के लिए एफएसए संपन्न किये हैं।

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य एजेंसियों के साथ एफएसए

1	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सं.	36
2	निर्धारित मात्रा	80.00
3	उन राज्यों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2014–15 के लिए एजेंसियां नामित कीं	18
4	राज्यों/नामित एजेंसियों को आबंटित मात्रा (लाख टन में)	43.47
5	अब तक एफएसए के अंतर्गत कोयला प्राप्त कर रहे राज्यों की संख्या	08.00
6	एफएसए के अंतर्गत शामिल एसीक्यू (लाख टन)	19.64

कोयले की ई–नीलामी

सीआईएल में ई–नीलामी

एनसीडीपी प्रावधान के अनुसार कोयले की बिक्री हर महीने बाजार निर्धारित मूल्य पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी के जरिए नियमित आधार पर की जा रही है। ई–नीलामी दो प्रकार की है– स्थल ई–नीलामी और फारवर्ड ई–नीलामी। स्थल ई–नीलामी सभी वर्गों के क्रेताओं के लिए है। फारवर्ड ई–नीलामी के मामले में केवल अन्त्य उपयोगकर्ता/वास्तविक उपभोक्ता ही भाग लेने के पात्र हैं और इन्हें अपेक्षाकृत लंबी अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिए कोयले की आपूर्ति का आश्वासन मिल सकता है। प्रत्येक फारवर्ड ई–नीलामी 12 महीनों के लिए होगी जिसमें तीन–तीन महीने की अवधि वाली चार तिमाहियां होंगी। उपभोक्ताओं के पास एक बार में किसी एक तिमाही के लिए अथवा सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने का विकल्प होगा जबकि स्थल ई–नीलामी नवंबर, 2007 से चल रही है लेकिन फारवर्ड ई–नीलामी अगस्त, 2009 से शुरू हुई है। ई–नीलामी चैनल के अधीन सीआईएल की कोयला कंपनियां अनुमानित वार्षिक उत्पादन का 10 प्रतिशत कोयला भेज सकती हैं। एनसीडीपी के कार्यान्वयन के बाद ई–नीलामी का निष्पादन इस प्रकार है:–

	स्थल ई–नीलामी					फारवर्ड ई–नीलामी				
	अप्रैल '12–मार्च '13	अप्रैल '13–मार्च '14	अप्रैल '14–मार्च '15	अप्रैल '14–दिस. '14	अप्रैल '15–दिस. '15	अप्रैल '12–मार्च '13	अप्रैल '13–मार्च '14	अप्रैल '14–मार्च '15	अप्रैल '14–दिस. '14	अप्रैल '15–दिस. '15
बोलिदाताओं की सं.	83653	84485	49916	54115	53005	346	354	179	113	142
सफल बोलिदाताओं की सं.	48115	50937	28005	28637	35262	256	239	133	78	103
पेश की गई कुल मात्रा (लाख टन)	524.32	688.62	501.69	300.53	582.61	86.78	78.80	58.94	26.26	48.19
कुल आबंटित मात्रा (लाख टन)	442.56	581.25	452.11	278.64	410.66	49.61	40.94	35.93	9.94	20.35
कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मू. (करोड़)	7436.55	9281.04	6800.85	4290.43	5537.22	656.63	444.46	501.58	225.85	345.39
कुल आबंटित मात्रा का बोली मू. (करोड़)	11148.52	12767.06	11133.51	7184.68	7545.00	825.50	621.55	630.58	265.52	453.40
अधिसूचित मूल्य की तुलना में % वृद्धि	49.92	37.56	63.71	67.5	36.3	25.72	39.84	25.72	17.57	31.27

अप्रैल, 15–दिस, 15 के दौरान कंपनीवार स्थल ई–नीलामी (अनंतिम) (लाख टन)

कंपनी	पेश की गई मात्रा	आबंटित मात्रा	अधिसूचित मूल्य की तुलना में % वृद्धि
ईसीएल	023.38	012.16	19.51
बीसीसीएल	018.42	016.40	56.78
सीसीएल	114.56	062.40	29.92
एनसीएल	044.23	034.23	31.81
डब्ल्यूसीएल	052.99	028.86	28.91
एसईसीएल	187.48	133.76	34.09
एमसीएल	138.99	122.26	50.80
एनईसी	02.55	000.60	09.16
सीआईएल	582.61	410.66	36.26

2015–16 (दिस. 15) तक के दौरान हुई अतिरिक्त नीलामियां

➢ विद्युत संयंत्रों के लिए की गई विशेष नीलामी

- विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विशेष ई–नीलामी योजना 10 मिलियन टन मात्रा के लिए फारवर्ड ई–नीलामी के अनुसार शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ऐसे विद्युत संयंत्रों को ई–नीलामी के जरिए आपूर्ति हेतु कोयला उपलब्ध कराना है जिनके पास एफएसए/एमओयू के जरिए खनित कोयले की आपूर्तियों/कैप्टिव खानों से प्राप्त कोयले की मात्रा, आयात तथा सामान्य ई–नीलामी से प्राप्त कोयले की मात्रा के बाद भी कोयले की आपूर्ति कम है। विशेष ई–नीलामी के दो चरण अर्थात विशेष फारवर्ड नीलामी क्रमशः सितंबर 15– अक्टूबर 15, और नवंबर 15 के दौरान हुए थे। 10 मि.टन. में से 7 मि.टन मात्रा बुक हुई थी।

➢ गैर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य नीलामीः

- गैर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अनन्य ई–नीलामी योजना 4 मिलियन टन मात्रा के लिए फारवर्ड ई–नीलामी के अनुसार अक्टूबर 15 में शुरू की गई थी ताकि इस समय टैपरिंग लिंकेज वाले अन्त्य उपयोग संयंत्रों (ईयूपी) को तथा 30.09.2015 तक सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर एमओयू पर मौजूदा स्तर पर एमओयू रूट के अधीन इस समय कोयला प्राप्त करने वाले ईयूपी को वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए कोयला दिया जा सके। 4 मि.टन. में से 1.2 मि.टन मात्रा बुक हुई थी।

नीलामी	विशेष नीलामी	विशेष फारवर्ड नीलामी	अनन्य नीलामी
बोलिदाताओं की सं.	32	60	47
सफल बोलिदाताओं की सं.	22	41	43
पेश की गई कुल मात्रा (लाख टन)	100.00	85.00	40.00
कुल आबंटित मात्रा (लाख टन)	15.59	52.68	12.09
कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मू. (करोड़)	137.88	397.30	124.63
कुल आबंटित मात्रा का बुकिंग मू. (करोड़)	178.00	577.94	170.51
कुल अधिसूचित मूल्य की तुलना में % वृद्धि	29.10	45.47	36.81

➢ एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी :

- o एससीसीएल ने कोयले की स्थल ई–नीलामी दिसंबर, 2007 में शुरू की है।
- o एससीसीएल फारवर्ड ई–नीलामी नहीं कर रही है।
- o अप्रैल 15 से दिसंबर 15 तक की अवधि के दौरान एससीसीएल द्वारा स्थल ई–नीलामी के जरिए बेचे गए कोयले का ब्यौरा इस प्रकार है:

कंपनी	प्रस्तावित मात्रा (टन)	बेची गई मात्रा (टन)	अधिसूचित मूल्य की तुलना में %वृद्धि
एससीसीएल	57,88,800	25,20,697	19.27

परिवहन के साधन

- **सीआईएल**
  - o सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरी–गो–राउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी माडल रेल–एवं–समुद्री मार्ग हैं। अप्रैल, 2015–दिसम्बर, 2015 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	परिवहन के साधन	% योगदान
1	रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित)	55%
2	सड़क	25%
3	एमजीआर	17%
4	बैल्ट कन्वेअर्स/रोपवेज	02%

- **एससीसीएल**
  - o एससीसीएल में कोयले के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, एनटीपीसी मैरी–गो–राउंड पद्धति (एमजीआर), एरियल रोप वे हैं। उक्त अवधि के दौरान कोयले की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	परिवहन के साधन	% योगदान
1	रेलवे (आरसीआर सहित)	70.53
2	सड़क	14.86
3	एमजीआर	13.77
4	रोप	00.83

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अधीन हुई प्रगतिः

एनसीडीपी के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है।

➢ कोल इंडिया लिमिटेड

- o लिंकेज प्रणाली का स्थान ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) ने ले लिया है अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए संपन्न किए गए। इन एफएसए का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था, अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए हैं तथा कुछ नवीकृत हो गए हैं अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। दिस. 2015 तक विद्युत कंपनियों के वर्ग को छोड़कर, कोयला कंपनियों के साथ 725 उपभोक्ताओं के पास एफएसए है।

एनसीडीपी के अंतर्गत दिसंबर, 2015 (अनंतिम) तक संपन्न एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

पुराने मौजूदा उपभोक्ता (विद्युत संयंत्रों को छोड़कर)	कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं के आपरेटिव एफएसए की संख्या
सीपीपी	109
स्पांज आयरन	153
सीमेंट	033
कागज	037
एल्युमिनियम	002
ब्रिकेट	015
एसएसएफ	044
कोकरीज	141
अन्य	191
कुल सीआईएल	725

- इस समय वर्ष 2009 से पूर्व की अवधि से संबधित 124 एफएसए संपन्न कर लिए गए हैं।
- एलओए को जारी करने के लिए एसएलसी (एलटी) की सिफारिशों में से, दिसंबर, 2015 तक विद्युत, स्पांज आयरन तथा सीपीपी एवं सीमेंट क्षेत्र में कुल 597 नए उपभोक्ताओं ने सीजी प्रस्तुत किया था तथा आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उन्हें एलओए जारी किया गया था। उनमें से 464 ईकाइयों ने एफएसए संपन्न किए। तथापि बाद में कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द हो जाने के कारण एलओए के 12 टैपरिंग एफएसए अवैध घोषित किए गए। इस प्रकार इस समय 452 एफएसए हैं जिनमें से 320 वैध हैं अन्य एलओए को पूरा किए जाने के विभिन्न चरणों रद्द/समाप्त/वापस ले लिया गया है।
- लघु और मध्यम उपभोक्ता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों को आबंटन के लिए सीआईएल द्वारा 8 मिलियन टन कोयला निर्दिष्ट किया गया है। 31 दिसंबर, 2015 तक वर्ष 2015–16 के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी 23 राज्य एजेंसियों के नामांकन भेजे हैं, जिनमें से 10 राज्य एजेंसियों ने कुल 1.964 मिलियन टन मात्रा के लिए एफएसए संपन्न किया है।
- 17.07.2013 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सीआईएल को कुल 78,535 मेगावाट क्षमता वाले 173 टीपीपी के साथ एफएसए संपन्न करने थे। 31.12.2015 तक 74,225 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए तथा 223.52 मि.टन की वार्षिक संविदाशुदा मात्रा के लिए कुल 172 एफएसए विद्युत संयंत्रों के साथ संपन्न किए गए हैं। तथापि उक्त क्षमता में से 57,730 मेगावाट की क्षमता वाले टीपीपी ने दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) किए हैं तथा चालू होने की शर्तो पर कोयला आपूर्ति शुरू करने के लिए पात्र हैं। तथापि उसके बाद टेपरिंग एफएसए समाप्त हो गए। इसलिए इस समय नियमित लिंकेज के अधीन 66665 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए तथा 217.384 एम.टी की वार्षिक संविदाशुदा मात्रा के लिए नियमित लिकेज के अधीन 143 एफएसए संपन्न किए गए। जबकि पीपीए क्षमता 55160 मेगावाट है। 9910 मेगावाट की कुल क्षमता वाले टैपरिंग लिंकेज के 19 यूनिटों के मामले में कोयला ब्लाकों के आबंटन रद्द किए जाने को देखते हुए एफएसए समाप्त हो गए।
- राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सीआईएल ने नए विद्युत संयंत्रों के साथ एफएसए के उपबंधों के अंतर्गत कोयला आपूर्ति कंपनियों की ओर से इच्छुक टीपीपी के लिए आयातित कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। केवल 3 पीपीए ने लगभग 3.5 लाख टन मात्रा के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान सीआईएल के माध्यम से आयात का विकल्प दिया है।

➢ एससीसीएल

एससीसीएल ने एसएलसी (एलटी) द्वारा अनुशंसित 28 यूनिटों के लिए एलओए जारी किए हैं :

- सीमेंट यूनिटों के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया–10
- केप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया–13
- एफएसए में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है–01
- लागत जमा के अंतर्गत एलओए जारी करने के लिए अनिच्छुक यूनिटें–04

एनसीडीपी के अंतर्गत एफएसए की क्षेत्र वार स्थिति (31–12–2015 तक)

क्षेत्र	लिंक्ड उपभोक्ताओं की संख्या	संपन्न एफएसए की संख्या
विद्युत (प्रमुख)	4	4
सीपीपी	23	23
स्पांज आयरन	21	21
सीमेंट	44	44
अन्य	364	364

कोयला उपभोक्ता परिषद

- क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में की गई है। इसके अलावा, सीआईएल (मुख्यालय) में स्थापित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। यदि शिकायतों पर जबाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जाता है। इन परिषदों का पुर्नगठन नए सदस्यों को शामिल करके वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया था।
- संचार के नवीन तरीके खोलने वाले प्रौद्योगिकी नवाचार को देखते हुए सीआईएल द्वारा कुछ वर्ष पहले ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र लागू किया गया था जिसके जरिए ऑनलाईन शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। सीआईएल की व्यावहारिक वेबसाइट में किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा शिकायतों को डाक से भेजने से पहले उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है।
- कोयला कंपनियों कें संबंध में शिकायतों के मामले में नोडल अधिकारी उन्हें टिप्पणी/कार्रवाई के लिए संबंधित कोयला कंपनियों के पास भेजता है। टिप्पणी/स्थिति प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता को समुचित सूचना दी जाती है। इस प्रकार मुद्दे का समाधान हो जाता है। यदि शिकायत सीआईएल के किसी अन्य विभाग के कार्यकरण से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग के पास भेजा जाता है। शिकायतकर्ता को संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाने के लिए कहा जाता है अथवा उसे सूचना प्राप्त होने की दशा में संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है।
- उपर्युक्त तंत्र के अधीन प्राप्त अधिकतर शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और उन्हें शीघ्र तथा दक्षतापूर्वक निपटाई जाती हैं।